SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT.

SHRI M. VINCENT:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state.

(a) whether the Indian Peace Keeping Force was sent in Sri Lanka, recently, if so, what is the strength of the Indian Army, Navy and Air Force personnel deployed in Sri Lanka;

(b) what is the number of IPKF personnel who have been injured, killed and missing in the operations in Sri Lanka and the number of those who are still in hospitals,

(c) what is the number of LTTE men and Tamil civilians who have been killed;

(d) whether more units of the IPKF were sent to the Eastern port town of Trincomallee,

(e) what are the details of the efforts made by IPKF to restore peace and normalcy in Sri Lanka; and

(f) what is the time for which Government propose to keep IPKF in Sri Lanka?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K. C. PANT): (a) Yes, Sir. Over two Infantry Divisions worth of troops along with 162 personnel of the Air Force and 114 of the Navy have been deployed in Sri Lanka for peace-keeping operations.

(b) As on 23rd November, 1987, a total number of 262 military personnel of the IPKF have been killed, 927 wounded and 15 missing in the operations in Sri Lanka. A total of 415 IPKF personnel are still in hospitals.

(c) As per available information, it is assessed that 954 LTTE personnel have lost their lives during the operations so far. Government have no information about the specific number of Tamil civilians who have lost their lives in these operations, although some civilian deaths are inevitable as a result of LTTE's practice of using civilians as human shield and fighting from civilian areas.

(d) No, Sir.

(e) Simultaneous with its efforts to disarm the militants, the IPKF is engaged in a massive operation to provide food and medical relief to the people of Jaffna and restart other administrative and municipal services such as electricity and water etc.

(f) The IPKF has gone to Sri Lanka in terms of the Indo-Sri Lanka Agreement and is now engaged in fulfilling its mandate in terms of the Agreement. It is not possible at this stage to give an exact indication of the likely period of its stay in Sri Lanka.

परमाणु ऊर्जा विभाग में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

2071. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किये जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) विभागों, इसके संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर, किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण

हैं जब कि अधिनियम को पारित हुये 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागो के लिए एक ही हिन्दी सलाहकार समिति है। 1987 के वर्ष में अब तक उस समिति की दो बैठकें हो चुकी है उस समिति के एक सदस्य को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठको में प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाता है ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्य सचिवालय तथा इसके अधिकांश यूनिट "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित है तथा इस विभाग और इसके यूनिटों द्वारा किया जाने वाला काम बहुत ही वैज्ञानिक और तकनीकी किस्म का है । इसलिए अब तक यह संभव नही हो पाया है कि हिन्दी अनुभाग को छोडकर किसी अन्य अनुभाग का सत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाए ।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन विभाग के सचिवालय में पूरी तरह से किया जा रहा है।

Re· QUESTION HOUR

12 00 NOON

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न है और इसके पहले प्रश्न 281 के लिये आपने 35 मिनट दिये । दूसरे के लिये 15 मिनट दिये और तीसरा प्रश्न यह चल रहा था । इसके पहले यह परिपाटी रही है कि जो प्रश्न पूछता था उसको अधिकतम दो मिनट का मौका दिया जाता था और उसके उत्तर के लिये भी दो मिनट का मौका दिया जाता था । मेरा निवदन है कि चार दिन इसी प्रकार होता रहा है और दो या तीन से ज्यादा प्रश्न नही पूंछे जा सके । तो क्या इस क्रम को बदला जाएगा ?

श्री सभापति : आप ने बात ठीक उठायी है । मैंने इस बात को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उठाया था, लेकिन कोई राय नहीं मिली और मैंने यहा देखा कि एक सवाल था, जब उसके खत्म होने पर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो यहा काफी हंगामा हुआ । तो मैंने सोचा कि आप लोगों की मर्जी जैसी होगी उसके अनुसार ही चलूगा । अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीट कर रही है उस में इस दखेंगे । मुझे तो सदन सब की राय से चलाना है ।

SHRI A G. KULKARNI. (Maharashtra): Sir, you told us that you will consult the Business Advisory Committe It is your prerogative; how to conduct the Question Hour, whom to call etc. It has nothing to do with the Business Advisory Committee. (*Interruptions*) Let me complete please. I think, at least a minimum of six to eight questions should be taken up. The limit of two minutes is in the rules. You should call only four or five Members. Unless this is ensured, all our preparations, our study and the Government's efforts will become a total waste For Heaven's sake, kindly see that more questions are taken up You can take the opinion of the leaders of the Opposition We are interested in seeing that more questions are taken up

MR CHAIRMAN I know my prerogative But I want to use it in accordance with the wishes of the Members of the House

I took it up last time We will again discuss it.

SHRI M. S GURUPADASWAMY (Karnataka)· Sir, we suggested to you last time .

MR CHAIRMAN: We will discuss it again. Let us not get bogged down on this now.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY· I am not taking the time of the House.